न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

अन्दार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ..... बनाम .....

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :- 31-12-18

प्रकरण संख्या :- RA/33/18

मसावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम तुमारी की आ.ख.न. 454 कुल रकबा 1.08 किस्म जमीन गैरमुमकिन गैरपट्टा में से 0.01 रकबे पर की 1.08 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर चक्का सि0 रामश्याम कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तुमारी द्वारा दिनांक 12/6/18 लकड़ी/पुश्ता डाला को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव भू.अ.निरी. ..... के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी चक्का सि0 रामश्याम जाति जाटव निवासी तुमारी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी ..... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा नवी आ.ख.न. 454 रकबा 1.08 में से 0.01 रकबे किस्म गैरमुमकिन गैरपट्टा जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायम का अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 62 Paise का 50 गुणा 32/- रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी ..... भू.अ.निरी. ..... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज०
कठूमर, अलवर (राज.)

16
2018-19
32/-

प्रतिलिपि :- प्र.ई.

तहसीलदार
तहसील कठूमर